

[2015] 11 एस. सी. आर. 570

मैसर्स स्टार इंडस्ट्रीज

बनाम

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), रायगढ़

(सिविल अपील संख्या 6088/2013)

07 अक्टूबर, 2015

[ए. के. सीकरी और आर. एफ. नरीमन, न्यायाधिपतिगण]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985: अध्याय 26

अधिसूचना संख्या 4/2006 सी.ई.- अधिसूचना के अंतर्गत छूट-फेरों-मिश्र धातुओं के निर्माण के लिए भुना हुआ मोलिब्डेनम अयस्क सांद्रण का आयात- अधिसूचना संख्या 4/2006 सी.ई. क्रम संख्या- 4 पर 'अयस्क का उल्लेख करता है और देय सीमा शुल्क शून्य है- क्या निर्धारिती द्वारा आयातित अयस्क सांद्रण अधिसूचना के अंतर्गत सीमा शुल्क/सी. वी. डी. के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान से पूर्ण छूट के लिए पात्र है -अभिनिर्धारित किया:- नोट 4 के आधार पर, सांद्रण को भुनाई की प्रक्रिया के गुजरने के कारण आवश्यक रूप से मोलिब्डेनम अयस्क के बाद

निर्मित उत्पाद के रूप में अयस्कों से अलग माना जाए जो माना जाता है-  
चूंकि अयस्क और सांद्रण को दो अलग-अलग वस्तुओं के रूप में माना  
जाता है और अधिसूचना संख्या 4/2006- सीई में केवल 'अयस्क' को छूट  
दी गई है, सांद्रण स्वचालित रूप से उक्त अधिसूचना के कार्यक्षेत्र बाहर हो  
जाती है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया।

1. हिंदुस्तान गैस मामले में फैसले को पढ़ने से यह बहुत स्पष्ट है कि  
बुनियादी और सामान्य धागा जो पूरे निर्णय के दौरान चलता है कि  
अयस्क को भूनने की प्रक्रिया के अधीन चलाना निर्माण के समतुल्य नहीं  
बनाता है। वर्ष 2011 में नोट 4 के सम्मिलन के साथ किए गए संशोधन के  
साथ यह मौलिक आधार बंद हो जाता है। नोट 4 अब स्पष्ट रूप से उल्लेख  
करता है कि अयस्क को सांद्रकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया 'निर्माण' के  
बराबर होगा। इसलिए, अब यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अयस्कों  
को भोनना और उन्हें संकेंद्रित में परिवर्तित करना निर्माण नहीं होगा। नोट  
4 को जोड़ने के साथ, एक कानूनी बाध्यता की प्रक्रिया सृजित की जाती है  
जो कि अयस्कों को सांद्रण के रूप में संकेंद्रित में परिवर्तित करने की  
प्रक्रिया को निर्माण के बराबर मानती है। एक बार जब इसे निर्माण माना  
जाता है, तो इसके सभी परिणाम, जैसा कि इस तरह के कानूनी बाध्यता  
के लिए अभिप्रेत है, स्वचालित रूप से पालन करेंगे। अपरिहार्य निहितार्थ

यह है कि मोलिब्डेनम अयस्क सांद्रण से अलग है। यह प्रक्रिया को निर्माण के रूप में मानने में अंतर्निहित है क्योंकि निर्माण के परिणामस्वरूप पहले वाली वस्तु से भिन्न वस्तु उत्पन्न होती है। सांद्रण को अयस्कों से निर्मित उत्पाद मानने का उद्देश्य सांद्रण को उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी बनाना है। अन्यथा, अयस्कों को सांद्रण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को विनिर्माण बनाने का कोई कारण नहीं था। [पैरा 28] [590-सी-जी; 591-डी-ई]

2. अध्याय टिप्पणी 2 को अध्याय नोट 4 के सम्मिलन के बाद भी बरकरार रखा गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि, अध्याय टिप्पणी 2 के अनुसार, 'अयस्क का अर्थ है खनिज प्रजातियों के खनिज जो वास्तव में धातु कर्म उद्योग में पारा के निष्कर्षण के लिए, शीर्ष 2844 की धातुओं या अनुभाग XIV या XV की धातुओं के लिए उपयोग किये जाते हैं, भले ही वे गैर-धातुकर्म प्रयोजन लिए अभिप्रेत हों। इस नोट के अनुसार, अनुभाग XV की धातुओं को 'अयस्क' शब्द में शामिल किया जाएगा। हालांकि, अध्याय नोट 4 के सम्मिलन के बाद, ये दो नोट्स अर्थात् नोट 2 और नोट 4 नामक दो टिप्पणियों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ना होगा। नोट 2 को, जब नोट 4 के साथ देखा जाता है, तो उसे सीमित क्षेत्र में खुद को शासित करना पड़ता है। नोट 4 द्वारा बनाई गई काल्पनिक कल्पना के आधार पर यह माना जाता है कि अयस्क को भूने की प्रक्रिया निर्माण के बराबर होती है और यह एक अलग उत्पाद बनाती है जिसे सांद्रण के रूप में जाना

जाता है, छूट अधिसूचना के उद्देश्य से, जो केवल 'अयस्क' को छूट देता है, यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि सांद्रण अभी भी छूट की अधिसूचना के दायरे में आएगा। इसलिए, नोट 2 और नोट 4 का सामंजस्यपूर्ण निर्माण यह होगा कि उन मामलों में जब नोट 4 लागू होता है और अयस्क एक अलग उत्पाद बन जाता है, यह अयस्क होना बंद हो जाता है। जैसा कि विधानमंडल ने अयस्कों और सांद्रण को दो अलग-अलग वस्तुओं के रूप में मानने का इरादा किया है और अधिसूचना सं. 4/2006- सी. ई. केवल 'अयस्कों' को छूट देता है, सांद्रण स्वचालित रूप से उक्त अधिसूचना के दायरे से बाहर हो जाता है। छूट अधिसूचनाओं का अर्थ सख्ती से लगाया जाना चाहिए और भले ही कुछ संदेह हो, उसका लाभ का निर्धारिती को आश्वासन नहीं दिया जाएगा बल्कि राजस्व को दिया जाएगा। [पैरा 30,31] [591-जी-एच; 592-ए-डी; एफ-एच; 593-ए]

हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1999 (3) एस. सी. आर. 471: (1999) 5 एससीसी 15; खनिज और धातु व्यापार निगम बनाम भारत संघ और अन्य 1973 (1) एससीआर 997: (1972) 2 एस. सी. सी. 620- अभिनिर्धारित किया कि लागू नहीं होता है।

मैसर्स नवोपान इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद बनाम कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और एएनआर 1994 (73) ईएलटी 769 (एससी); आई. वी. आर. सी. एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क

आयुक्त, चेन्नई 2015 (319) ईएलटी 194 (एससी); हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ 1999 (108) ई. एल. टी. 321 (एस. सी.)- भरोसा किया गया।

### मामला कानून संदर्भ

1999 (3) एससीआर 471	अप्रयोज्य रखा गया	पैरा 15
1973 (1) एससीआर 997	अप्रयोज्य रखा गया	पैरा 18
1994 (73) ईएलटी 769 (एससी)	पर भरोसा किया	पैरा 32
2015 (319) ईएलटी 194 (एससी)	पर भरोसा किया	पैरा 33
1999 (108) ईएलटी 321 (एससी)	पर भरोसा किया	पैरा 34

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील संख्या 6088/2013

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, मुंबई के अपील सं सी/1311/12 सं ए/322/13/सी एस टी बी/सी-1 में दिनांकित 09.01.2013 निर्णय और आदेश से।

वी. लक्ष्मीकुमारन, एम. पी. देवनाथ, एल. चरणया, एस. वासुदेवन, हेमंत बजाज, नूपुर माहेश्वरी, आनंद के. अपीलार्थी के लिए।

यशांक अध्यारू, अतुलेश कुमार, अरिजीत प्रसाद, रश्मि मल्होत्रा, बी. कृष्ण प्रसाद प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था।

### ए. के. सीकरी, न्यायाधिपति

1. अपीलार्थी (इसके बाद 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित) केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अध्याय 72 के तहत आने वाले लौह मिश्र धातुओं के निर्माण में लगा हुआ है। मिश्र धातुओं के निर्माण के लिए एक इनपुट-भुना हुआ मोलिब्डेनम अयस्क/सांद्र है। निर्धारिती नियमित रूप से उपरोक्त सामग्री अर्थात् भुना हुआ मोलिब्डेनम अयस्क/सांद्र (इसके बाद 'अयस्क सांद्र' के रूप में संदर्भित करें)। का आयात कर रहा है।

2. यह विवाद में नहीं है कि अयस्क सांद्रता का आयात, अन्यथा रूप से, सीमा शुल्क की अतिरिक्त देयता अर्थात् सीमा शुल्क के अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क के अधीन है। हालाँकि, अधिसूचना संख्या 4/2006-सी. ई. दिनांक 1 मार्च के माध्यम से, 2011, जो एक सामान्य छूट अधिसूचना है, विभिन्न आइटम, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त हैं। इस अधिसूचना में उल्लिखित एक वस्तु अयस्क भी है जिसका उल्लेख क्रम संख्या 4 में किया गया है और देय उत्पाद शुल्क शून्य है। यदि, निर्धारिती द्वारा आयातित उपरोक्त माल, अर्थात्, 'अयस्क सांद्रण' उपरोक्त प्रविष्टि के अंतर्गत एक फोर्टिओरी, के रूप में आता

है, तो इस वस्तु के आयात पर कोई सी. वी. डी. देय नहीं होगा। अतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या निर्धारिती द्वारा आयातित 'अयस्क सांद्रण' अधिसूचना संख्या 4/2006- सी. ई. दिनांक 1 मार्च, 2006 के तहत सीमा शुल्क/ सी. वी. डी. के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए पात्र है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर एक अन्य आनुषंगिक प्रश्न पर निर्भर करेगा, अर्थात्, क्या निर्धारिती द्वारा आयातित 'अयस्क सांद्रण' को अधिसूचना संख्या 4/2006 में उल्लिखित 'अयस्क माना जा सकता है। अन्यथा कहें तो, क्या मोलिब्डेनम अयस्क भूने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद और अयस्क सांद्र के रूप में जाना जाने के बाद अभी भी अयस्क बना हुआ है।

3. इससे पहले कि हम उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें, हम उन बुनियादी तथ्यों पर गौर करना उचित समझते हैं जो संबंधित मुद्दे पर असर डालते हैं।

4. निर्धारिती नियमित रूप से अयस्क सांद्रण का आयात करता रहा है और उपरोक्त अधिसूचना संख्या 4/2006-सी. ई. के लाभ का दावा करता रहा है। सीमा शुल्क विभाग इस लाभ का विस्तार करता रहा है। नतीजतन, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 (1) के तहत कोई सी. वी. डी. नहीं लगाया गया। हालांकि, विभाग के अनुसार, राजस्व निदेशालय खुफिया (डी. आर. आई.) को कुछ जानकारी मिली है जो संकेत देती है कि निर्धारिती उत्पाद को 'मोलिब्डेनम अयस्क या 'भुना हुआ मोलिब्डेनम

अयस्क के रूप में गलत घोषित कर रहा था और उस आधार पर, अधिसूचना संख्या 4/2006-सीई के तहत छूट का लाभ मांग रहा था। उनके अनुसार, भुना हुआ मोलिब्डेनम अयस्क वास्तव में अयस्क सांद्रण था, जो 'अयस्क' से अलग था और इसलिए, निर्धारिती को उक्त अधिसूचना संख्या 4/2006-सीई का लाभ उपलब्ध नहीं था। उपरोक्त खुफिया जानकारी के आधार पर, बी/ई के तहत निर्धारिती की दो आयातित खेप, संख्या 4567406 दिनांक 06 सितंबर, 2011 और 4551981 दिनांक 05 सितंबर, 2011 को 14 सितंबर, 2011 को जाँच के लिए हिरासत में लिया गया था। माल की जांच से पता चला कि दिनांक 06 सितंबर, 2011 के बी/ई संख्या 4567406 के संबंध में, जिन थैलों में सामान पैक किया गया था, उनमें लेबल /चिन्ह थे जिन्हें 'भुना हुआ मोलिब्डेनम सांद्रता' के रूप में पढ़ा जाता है। बी/ई No.4551981 दिनांक 05 सितंबर, 2011 के संबंध में, भुना हुआ मोलिब्डेनम सल्फाइड (एम. ओ. एस. 2) निशान था। आयातित उत्पादों के नमूने लिए गए और रासायनिक जाँच के लिए रासायनिक परीक्षक, सी. आर. सी. एल. वडोदरा को भेजा गया। उस आधार पर 26 सितंबर, 2011 को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के प्रावधानों के तहत इस उचित दलील पर कि वे उक्त अधिनियम की धारा 111 के तहत ज़बती के लिए उत्तरदायी हैं माल/खेप को ज़ब्त कर लिया गया था।।



5. निर्धारिती-फर्म के भागीदार श्री बाबू खंडेलवाल का वक्तव्य सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज किया गया था,, जिसमें, उन्होंने, अन्य बातों के साथ, स्वीकार किया कि आयात के तहत माल भुना हुआ मोलिब्डेनम अयस्क सांद्र थे, जिसे उन्होंने मेसर्स ग्लेनकोर, स्विट्जरलैंड और मेसर्स थॉम्पसन क्रीक मेटल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदा था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि संरचना के आधार पर स्वाभाविक अयस्क और अयस्क सांद्रण अलग-अलग वस्तुएं हैं और सांद्रण मूल्य वर्धित उत्पाद हैं और भुने हुए मोलिब्डेनम अयस्क में मोलिब्डेनम की मात्रा यह 56 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के दायरे में है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने चालान में दिये गये विवरण के अनुसार माल को भुना हुआ मोलिब्डेनम अयस्क घोषित किया था। वह भी रासायनिक परीक्षक द्वारा दी गई परीक्षण रिपोर्ट से सहमत थे। अधिसूचना 4/2006-सीई के तहत सी. वी. डी. के छूट के संबंध में, श्री खंडेलवाल ने कहा कि चूंकि अयस्कों में सांद्रता शामिल होती है, इसलिए उन्होंने छूट का दावा किया था। वह उपरोक्त बिलों की प्रविष्टियों के अनुसार किये गये आयात के सम्बंध में शामिल सी. वी. डी. का भुगतान करने के लिए भी सहमत हुए। 6, 12,60,943/- मूल्य के जब्त किए गए सामानों को उक्त मूल्य के लिए एक बांड के निष्पादन और रु.61, 26,200/- की बैंक गारंटी पर निर्धारिती को अस्थायी रूप से जारी कर दिया गया। निर्धारिती ने 04 अक्टूबर, 2011 को रु. 66, 61,664/- के अंतर शुल्क का भी भुगतान किया। जांच में आगे

पता चला कि निर्धारिती ने पहले भी मार्च, 2011 से जुलाई, 2011 तक की अवधि के दौरान बी ई 14 के तहत वस्तुओं को मोलिब्डेनम अयस्क/ भुना हुआ मोलिब्डेनम अयस्क घोषित करते हुए समान वस्तुओं का आयात किया था और रु. 3,10,73,035/- की राशि की सी. वी. डी. छूट का पूरी तरह से लाभ उठाया था।

6. इसके बाद विभाग ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 (डी) और 111 (एम) के प्रावधानों के तहत 26 सितंबर, 2011 को जब्त किये गये रु. 6,12,61,048/ मूल्य के 59, 000 किलोग्राम भुना हुआ मोलिब्डेनम अयस्क सांद्रण और पहले 14 प्रवेश पत्रों के तहत आयात किये गये रु. 28,57,49,418/- मूल्य के उक्त 275000 किलोग्राम माल को जब्त करने का सुझाव देते हुए निर्धारिती को दिनांक 09 मार्च, 2012 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 (1) के प्रावधानों के तहत जब्त किए गए माल पर Rs.66,61,664/- और पहले आयातित माल पर रु. 3, 10, 73,035/-, अंतर शुल्क राशि धारा 28 ए ए के तहत ब्याज के साथ देने के अलावा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 114ए और 112 (ए) के तहत निर्धारिती पर दंड लगाने की मांग करने का भी प्रस्ताव किया गया था।

7. निर्णय के बाद, कारण दर्शाओ नोटिस में उठाई गई मांग जिसमें मार्च, 2011 से सितंबर, 2011 की अवधि शामिल था, की पुष्टि करते हुए

आदेश पारित किया गया था। पहले जब्त किये गये और वसूल किये गये आयात को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 (डी) और 111(एम) के तहत जब्त कर लिया गया था उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत 1 करोड रुपये के जुर्माने के भुगतान पर इसे भुनाने के विकल्प के साथ और पहले आयात किये गये सामान पर समान प्रावधानों के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी थे, जिसके सम्बंध में अंतर शुल्क रु. 66,61,664/ और रु. 3,10,73,035/ को सीमा शुल्क की अधिनियम की धारा 28 एए के तहत ब्याज सहित वसूलने के साथ सीवीडी छूट के लाभ देने से इनकार करने की पुष्टि की गई। उक्त अधिनियम की धारा 114 ए के तहत निर्धारिती पर समतुल्य राशि का जुर्माना भी लगाया गया था।

8. उक्त आदेश को निर्धारिती द्वारा सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.), मुंबई पीठ के समक्ष अपील के रूप में चुनौती दी गई थी। आलोच्य निर्णय 08 फरवरी, 2013, के माध्यम से सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने मामले के गुण पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की राय को सहमति प्रदान की है। हालांकि, केवल इस सम्बंध में आंशिक राहत दी जाती है सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 (डी) के तहत माल की जब्ती अनुचित थी और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 के तहत मोचन जुर्माना अधिरोपण और धारा 112 (ए)/114 ए के तहत जुर्माना के परिणामी आदेश के साथ उस हद तक आदेश

निरस्त किया जाता है। अपील का सारांश पैरा 8 में दिया गया है, जो इस प्रकार है:

"8. संक्षेप में, हम शुल्क की मांग और उस पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के तहत ब्याज के साथ धारा 28 ए के तहत ब्याज को बरकरार रखते हैं। हालाँकि, हम उक्त अधिनियम की धारा 111 के तहत माल ज़ब्ती और इसी अधिनियम की धारा 125 के तहत मोचन जुर्माना अधिरोपण और धारा 114 ए के तहत दंड को निरस्त करते हैं।"

9. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह इंगित करना उचित है कि तत्काल अपील को 2007 की सिविल अपील संख्या 1036 सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) बनाम मैसर्स हिंदुस्तान गैस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ टैग किया गया था। वह एक अपील थी जो 02 सितंबर, 1998 से लेकर अक्टूबर, 1999 की अवधि से सम्बंधित थी।। मुद्दा वैसा ही था जैसा वहाँ था वहाँ भी आयातक ने मोलिब्डेनम सांद्रता का भी आयात किया था और अधिसूचना संख्या 5/1998-सी. ई. छूट के लाभ का दावा किया गया जो भौतिक समय में प्रचलित था और इसने उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या के अंतर्गत उत्पाद शुल्क के भुगतान से 'अयस्क' को छूट दी थी। वहाँ भी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने यह विचार रखा था कि मोलिब्डेनम

अयस्क के सांद्रण और भुनाई के प्रक्रिया के तहत गुजरने के बाद यह एक अलग उत्पाद अर्थात्, मोलिब्डेनम ऑक्साइड बन गया था और 'अयस्क' नहीं रहा और, इसलिए, अधिसूचना छूट के लाभ का हकदार नहीं था जो केवल वस्तु 'अयस्क' पर लागू होती है। हालाँकि, एक, अपील में, सी. ई. एस. टी. ए. टी. की इसी मुंबई पीठ ने न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का आदेश दरकिनार कर दिया जिसमें कहा गया है कि मोलिब्डेनम अयस्क भूने की प्रक्रिया से गुजरा था इसके बाद भी, यह अयस्क बना रहा और अयस्क और सांद्रण के बीच कोई अंतर नहीं था जो एक ही और समान उत्पाद थे। हम यह उल्लेख करना पसंद करेंगे है कि हालांकि हमने सीईएसटीएटी के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व की अपील को इस आधार पर कि उक्त अपील में शामिल कर प्रभाव नगण्य है खारिज कर दिया है, उस कारण को समझना आवश्यक होगा जो इस निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए सी. ई. एस. टी. ए. टी. के साथ प्रचलित था कि सांद्रण को और कुछ भी नहीं बल्कि समृद्ध और तैयार अयस्क के रूप में समझा जाना चाहिए और इसका अर्थ है कि यह एक ही उत्पाद बना रहता है, अर्थात्, रोस्टिंग के उपरोक्त प्रसंस्करण के बाद भी 'अयस्क'। इस आदेश पर चर्चा करने और इसके निहितार्थ को उचित तरीके से समझने से पहले, छूट अधिसूचना की शुल्क प्रविष्टियाँ और सभी प्रासंगिक प्रावधानों को इंगित करना आवश्यक है।

10. केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 का अध्याय 26 'अयस्क, स्लैग और ऐश नोट्स' से संबंधित है। प्रशुल्क मद 2601 में उक्त मद में आने वाले माल का विवरण 'भुना हुआ लोहा, पाईरईट सहित लौह अयस्क और सांद्रण,' के रूप में दिया गया है। इसमें कुछ अध्याय टिप्पणियाँ, शामिल हैं, नोट 2 जिसके बारे में हम चिंतित हैं उसका निम्नलिखित प्रभाव है-

"2. शीर्षक 2601 से 2617 तक के प्रयोजनों के लिए, शब्द "अयस्क" का अर्थ है खनिज प्रजातियों के वे खनिज जो वास्तव में शीर्ष 2844 की धातुओं या धारा XIV या XV, की धातुओं के लिए पारा के निष्कर्षण के लिए धातु कर्म उद्योग में उपयोग किये जाते हैं, भले ही वे गैर धातुकर्मक उद्देश्य के लिए अभिप्रेत हों। हालांकि, शीर्षक 2601 से 2617 में उन खनिजों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें धातुकर्म उद्योग के लिए उन प्रक्रियाओं के लिए प्रस्तुत किया गया है जो सामान्य नहीं होती हैं।"

11. उक्त अध्याय में 2011 में एक संशोधन किया गया था, जिसके तहत, अन्य बातों के साथ, अध्याय नोट 4 जोड़ा गया था, जो नीचे लिखा है:

"4. इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में, अयस्कों को संकेंद्रित में परिवर्तित करने की प्रक्रिया "उत्पादन " होगी।"

12. तथापि, प्रशुल्क मद 2601 का विवरण यथावत बना रहा। एक ही। तथापि, हम उप-मद 2613 का भी उल्लेख करना चाहेंगे जो मूल अध्याय 26 की भांति समान शर्तों पर था,, जो नीचे लिखा है:

प्रशुल्क वस्तु	माल का विवरण	इकाई	शुल्क की दर
2613	मोलिब्डेनम अयस्क और संकेंद्रित		
2613 10 00	भुना हुआ	किग्रा	12 %
2613 90 00	अन्य	किग्रा	12 %

13. इस स्तर पर, सामान्य छूट अधिसूचना संख्या 4/2006 का उल्लेख करना भी उपयोगी होगा। इसको सावजनिक हित में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 ए की उप-धारा (1) द्वारा केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु जारी किया गया था, जिससे नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में यहाँ प्रासंगिक सूची के साथ सलग्न निर्दिष्ट विवरण के उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को छूट दी गई थी। उसका मद 3 निम्नानुसार है :-

अध्याय या शीर्षक या उप शीर्षक या प्रथम अनुसूची की वस्तु का प्रशुल्क	उत्पादनीय वस्तुओं का विवरण	दर	शर्त संख्या
2601 से 2617 तक	अयस्क	शून्य	--

हम यह इंगित करना चाहेंगे कि संशोधन जो वर्ष 2011 में किया गया जो मूल रूप से अध्याय टिप्पणी 4 जोड़े जाने से संबंधित है जिसके अनुसार अयस्कों को सांद्रता में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को 'निर्माण' के रूप में माना जाता है।

14. प्रासंगिक वैधानिक/कानूनी प्रावधान पर ध्यान देने के बाद, हम सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा मैसर्स हिंदुस्तान गैस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में पारित आदेशों पर वापस लौटते हैं। जबकि सी. ई. एस. टी. ए. टी. के इस निर्णय पर चर्चा करते हुए, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिये कि अध्याय नोट 4 प्रासंगिक समय पर नहीं था जब यह निर्णय दिसंबर, 2006 में दिया गया था।

15. यह तय स्थिति है कि सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की धारा 3 के तहत सी. वी. डी. का शुल्क निर्धारित करने के उद्देश्य से, यह माना जाए कि जो उत्पाद आयात किया गया था उसका भारत में निर्माण किया गया था और उसके बाद उस पर देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर राशि का निर्धारण किया जाना है। वह शुल्क सी. वी. डी. अर्थात् वस्तु के आयात पर अतिरिक्त शुल्क बन जाता है। यह स्थिति हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड और



एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले द्वारा तय की गई है।<sup>1</sup> उपरोक्त निर्णय के दो निहितार्थ हैं - अर्थात्, (i) यदि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राप्त सांद्रता भारत में निर्माण के बराबर नहीं है, तब आयातित सांद्रता भी सी. वी. डी के अधीन नहीं होगी, और (ii) यदि माल का निर्माण या उत्पादन भारत में किया जाता है, किसी भी उत्पाद शुल्क की छूट अधिसूचना के कारण छूट प्राप्त है या शुल्क की शून्य दर पर है, आयातित वस्तुओं को सी. वी. डी. की शून्य दर के अधीन किया जाएगा।

16. हिंदुस्तान गैस मामले में न्यायाधिकरण ने कहा कि सांद्रता प्राप्त करने के लिए एक अयस्क को भूनना, निर्माण के बराबर नहीं है, विशेष रूप से इस कारण से कि भूनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अयस्क में अशुद्धियों को हटा दिया जाता है और धातु ऑक्साइड की पुनर्प्राप्त करने योग्य सामग्री को बढ़ाया जाता है। न्यायाधिकरण ने यह भी माना कि विचाराधीन उत्पाद 'शून्य' शुल्क को आकर्षित करता है जैसा कि इसे छूट अधिसूचना द्वारा कवर किया गया था क्योंकि इसका कारण है कि अयस्क और सांद्रण एक ही हैं और इसलिए छूट का हकदार है। उपरोक्त तरीके से दोनों प्रश्न को जवाब देते हुए, न्यायाधिकरण ने सांद्रण का प्रसंस्करण समझाया। इस उद्देश्य के लिए, उसने किर्क ओथमर्स एनसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम। 16, पृष्ठ 315 को संदर्भित किया। सांद्रता और अयस्क को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"सांद्रता मूल्यहीन या अनावश्यक घटकों को हटाकर शक्ति या शुद्धता में तीव्रता लाने की क्रिया है, अर्थात् अयस्क या धातु को उसमें निहित चट्टान या मिट्टी से अलग करना। अयस्कों की सांद्रता हमेशा कदम या चरण में आगे बढ़ती है। खनिज मूल्यों की मुक्ति अक्सर प्रारंभिक चरण होती है। सांद्रता का अर्थ भी एक सांद्रता का उत्पाद होता है अर्थात्, एक लाभकारी मिल में अशुद्धि के हटाने के बाद एक शुद्ध अयस्क। अयस्क एक खनिज या खनिजों का समुच्चय जिसमें से लाभ के लिए एक मूल्यवान घटक, विशेष रूप से एक धातु, को बरामद किया जा सकता है।"

17. उपरोक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने राय दी कि सांद्रता शब्द एक समृद्ध और तैयार अयस्क के अलावा और कुछ नहीं समझना चाहिए। न्यायाधिकरण ने, इसके बाद, इस न्यायालय के **मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ और अन्य** फैसले पर भरोसा किया। यह एक ऐसा मामला था जिसमें निर्धारिती ने कम से कम 65 प्रतिशत टंगस्टन ऑक्साइड युक्त वोल्फ्राम का आयात किया था। निर्धारिती ने तर्क दिया था कि वोल्फ्राम सांद्रता एक अयस्क है और इसलिए, मद 26 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। निर्धारिती का यह विवाद इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया गया था:

" इसे उपयोग करने योग्य अयस्क बनाने के लिए चट्टान से वुल्फ्राम अयस्क को अलग करना अयस्क चयनात्मक खनन की एक प्रक्रिया है। यह एक उत्पादन प्रक्रिया नहीं है। महत्वपूर्ण परीक्षा यह है कि अयस्क की रासायनिक संरचना समान होनी चाहिए। चाहे आयातित अयस्क चूर्ण के रूप में हो या दानेदार के रूप में यह पूरी तरह से महत्वहीन है। जो देखना है वह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाजार में इसका अर्थ है वुल्फ्राम अयस्क जिसमें 60 प्रतिशत अयस्क अधिक WO<sub>3</sub> होता है। उस पर दोनों, निर्यात और पुस्तकों और उस विषय पर लेखन के अधिकार का एक प्रमुख भार है जो ये दिखाते हैं कि जिस चट्टान में वुल्फ्राम अयस्क जड़ा हुआ है वह या तो चट्टान को कुचलकर और वुल्फ्राम के टुकड़ों को प्रथक करके या चुंबकीय पृथक्करण और अन्य समान और आवश्यक प्रक्रिया के माध्यम से जब अलग किया जाता है और उससे निकाला जाता है तब यह किसी भी रसायन के साथ उपचारित हो जाता है जो यह नहीं प्रक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।"

18. न्यायाधिकरण ने कुछ और फैसलों पर भी ध्यान दिया जिसमें खनन किए गए उत्पाद से अशुद्धियों को हटाये जाने को निर्माण प्रक्रिया के रूप में नहीं माना गया था। उस आधार पर, न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर

पहुंचा कि सांद्रण प्राप्त करने के लिये एक अयस्क को भूनना, निर्माण का गठस्न नहीं करता है, क्योंकि यह केवल धातु की अशुद्धियों हटा देता है और इससे मैटल ऑक्साइड की पुनर्प्राप्त करने योग्य सामग्री को बढ़ा देता है। इस प्रकार, अयस्क और सांद्रणण केवल और एक ही है क्योंकि सांद्रण केवल अयस्क ही रहता है और वहां से अशुद्धियों को हटा दिया गया। एक बार फिर, एम. एम. टी. सी. (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए, न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की-

“..... इसलिए, 'अयस्क' जीनस है और 'कंसन्ट्रेट' प्रजाति है। इसलिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत अयस्क को छूट दी जाती है तो सांद्रण अयस्क को भी छूट दी जायेगी। अधिसूचना संख्या 5/98-सी. ई. की क्रम संख्या 10 शीर्षक 26.01 से 26.17 के अंतर्गत आने वाले अयस्कों को बिना शर्त छूट प्रदान करती है। एम. एम. टी. सी. के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करते हुए, अधिसूचना में 'अयस्क' अभिव्यक्ति में सांद्रण भी शामिल होगा। अयस्कों और सांद्रकों का हेडिंग 26.03 में अलग से उल्लेख ऊपर दिए गए तर्क के खिलाफ नहीं जाता है। यहां तक कि जब एक प्रविष्टि में का उल्लेख नहीं होता है, बल्कि केवल अयस्क का उल्लेख होता है तो भी, एम. एम. टी. सी. मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

सांद्रण को अयस्क के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा इसलिये अधिसूचना संख्या 5/98 में दिखाई देने वाले 'अयस्क' शब्द की व्याख्या करते समय उसी सिद्धांत को लागू किया जायेगा। एम. एम. टी. सी. मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट है कि 'अयस्क' जीनस है और 'सांद्रण' एक प्रजाति है। इसलिये, शीर्षक 26.03 इप्सोफैक्टो रूप से 'अयस्क' और 'सांद्रण' का अलग-अलग उल्लेख यह नहीं दर्शाता है कि वे अलग-अलग हैं। इसलिए, अधिसूचना संख्या 5/98 में शामिल 'अयस्क' शब्द 'सांद्रण' पर भी लागू हो सकता है।”

19. इसके बाद, इसने विशेष रूप से अध्याय 26 के टिप्पणी 2 का उल्लेख किया और अभिनिर्धारित किया कि उक्त टिप्पणी ने भी न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का यह इंगित करते हुए समर्थन किया था, कि टिप्पणी 2 के अनुसार, 'अयस्क' का अर्थ वास्तव में धातुकर्म उद्योग में उपयोग किए जाने वाले खनिज प्रजातियों के खनिज हैं, अन्य बातों के साथ-साथ धारा XIV से XV की धातुओं के पारे के निष्कर्षण और इस नोट के निहितार्थ पर निम्नलिखित शब्दों में टिप्पणी की गई:-

"आयातित वस्तुओं का उपयोग धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है।

इस प्रकार, अध्याय 26

के टिप्पणी 2 की प्राथमिक शर्त कि आयातित वस्तुओं का उपयोग खंड XV की धातुओं के लिए किया जाता है, संतुष्ट है, अध्याय 26 के नोट 2 की दूसरी शर्त भी संतुष्ट है क्योंकि आयातित सांद्रण को उस प्रक्रिया के अधीन नहीं किया गया था जो धातु उद्योग के लिए सामान्य नहीं है। विभाग, वास्तव में, अपील के आधार में यह कथन किया है कि अध्याय 26 के नोट 2 के आधार पर, वस्तुओं को शीर्षक 2613.10 के तहत वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, प्रश्नगत सांद्रण जब यह संतुष्ट होता है और 'अयस्क' शब्द के अंतर्गत आता है जैसा कि अध्याय टिप्पणी 2 में दिया गया है। 'अयस्क' की उपरोक्त परिभाषा अध्याय 26 के टिप्पणी 2 में उल्लिखित अधिसूचना संख्या 5/98-सी. ई. की धारा संख्या 10 पर भी लागू होगा।"

20. न्यायाधिकरण के उपरोक्त निर्णय के अनुसार, जिसे उसने एम. एम. टी. सी. मामले में इस न्यायालय के निर्णय का पालन किया था, अयस्क को अशुद्धियों से प्रथक करने से अयस्क को सांद्रण के रूप में जाना जाता था, लेकिन यह अभी भी जीनस अयस्क द्वारा कवर किया गया था और सांद्रण इस जीनस केवल एक प्रजाति था। इस प्रक्रिया में कोई निर्माण नहीं हुआ और इसलिये, व्यावसायिक रूप से जानी जाने वाली कोई भी नई वस्तु अस्तित्व में नहीं आती है।

21. श्री अध्यारू, राजस्व के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त निर्णय अपरिवर्तित अध्याय 26 के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था और यह अध्याय टिप्पणी 4 के जुड़ने से पहले था। उन्होंने इशारा किया कि एम. एम. टी. सी. में वह निर्णय भी उसी पुराने समय का था। उनके अनुसार, नोट 4 को अध्याय 26 में जोड़कर मौलिक अंतर बनाया गया है, इस प्रकार, एम. एम. टी. सी. और मैसर्स हिदुस्तान गैस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सी. ई.एस.टी. ए. टी. का निर्णय वर्तमान मामले के उद्देश्य अनुपयोगी घोषित करता है। उन्होंने दृढ़ता से यह तर्क दिया कि उपरोक्त निर्णय इस आधार पर आगे बढ़े कि एक अयस्क को सांद्रता परिवर्तित करने के लिए प्रसंस्करण की प्रक्रिया निर्माण नहीं होती है। वह, इस प्रकार अपने प्रस्तुतिकरण में दृढ़ थे कि अब अयस्क को सांद्रण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को निर्माण माना जाता था और इसलिये, अब सांद्रण को ऐसा समान उत्पाद नहीं माना जा सकता जैसा कि अयस्क है और यह अब यह समग्र रूप से एक नये उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इस आधार पर वह अपने मामले का निर्माण करने के लिए यह प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़े प्रशुल्क इतम 2601 जो कि वस्तुओं 'भुने हुए लौह पाईराइट सहित लौह अयस्क और सांद्रण' का उल्लेख करत है उसने दोनो वस्तुओं को स्पष्ट रूप से भिन्न माना था अर्थात लौह एक तरफ और सांद्रण दूसरी तरफ। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वह प्रशुल्क वस्तु 2613 जिससे यह उत्पाद विशेष रूप से संबंधित है वह

मोलिब्डेनम अयस्क और सांद्रण के रूप में भी विवरण देता है जिसका फिर से यह अर्थ होगा कि मोलिब्डेनम अयस्क संकेंद्रित से अलग था और ये दो अलग-अलग वस्तुएँ थीं। उसी रंग में, उनका आगे निवेदन था कि छूट अधिसूचना 4/2006 ने केवल 'अयस्कों' को छूट दी और छूट सांद्रण को छूट नहीं दी। उन्होंने तर्क दिया कि जब टैरिफ प्रविष्टि 2613 में लौह अयस्क और सांद्रण दोनों का उल्लेख किया गया था परंतु छूट अधिसूचना में केवल विशिष्ट सांद्रण अनुपस्थिति वाले 'अयस्कों' को छूट दी गई थी, इस प्रकार ऐसी छूट अधिसूचना की सख्त व्याख्या की जानी थी और और भले ही दो विचार संभव थे, छूट अधिसूचना की व्याख्या करते समय राजस्व के पक्ष में दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

22. इस आधार पर, अध्याय नोट 4 पर अपनी याचिका का आधार बनाते हुए, उन्होंने उत्साहित रूप से तर्क दिया कि अपील में दिये फैसले में नोट 4 को जोड़ने के साथ कानून में उपरोक्त महत्वपूर्ण बदलाव को ध्यान में रखा गया और मुद्दे को सही दृष्टिकोण में तय किया गया। उन्होंने विशेष रूप से आलोच्य आदेश में निम्नलिखित चर्चा का उल्लेख किया अयस्क और सांद्रण को संकेंद्रित को दो अलग-अलग उत्पादों के रूप में माना जाता था, जो यह नीचे लिखा है:

"ऊपर दिए गए प्रशुल्क विवरण से, प्रशुल्क "अयस्क और सांद्रण" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। इसके अलावा जहाँ



भी प्रशुल्क अलग- अलग वर्गीकरण निर्धारित करना चाहता था, वहाँ अलग-अलग शीर्षक प्रदान दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, लौह अयस्क के मामले में, अलग उप-शीर्षक लौह अयस्क गांठों, लौह अयस्क महीन और लौह अयस्क सांद्रण के लिए के लिए शीर्षक प्रदान किया गया है। उपरोक्त संरचना से, यह स्पष्ट है कि 'अयस्क और सांद्रण' अभिव्यक्ति का उपयोग और जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ अयस्कों और सांद्रणों के अलग-अलग उप-शीर्षक का प्रावधान है। तात्पर्य यह है कि विधायिका ने एक तरह अयस्क में और दूसरी तरफ सांद्रण में जानबूझकर एक अंतर किया है। दोनों शब्दों के बीच "और" उपसर्ग संयोजी है। यदि विधायी इरादा यह है कि अयस्क और सांद्रण एक और एक ही हैं, तो फिर विधायिका द्वारा "अयस्क और सांद्रण" अभिव्यक्ति का उपयोग किया होता।"

वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत पुस्तक, 12वां संस्करण 2010 में न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने पृष्ठ 477 और 478 पर निम्नासार लिखा है:-

"संयुग्म और विभेदक शब्द 'या' और 'और' 'या' शब्द आम तौर पर विभेदक होता है और 'और' आम तौर पर संयोजी

लेकिन विधानमंडल के स्पष्ट इरादे को प्रभावी बनाने के लिए जिससे कि संदर्भ से प्रकट किया जाये कभी-कभी उन्हें इसके विपरीत भी पढ़ा जाता है। (ईश्वर सिंह बिंद्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,, ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 360, पी. 363: (1980) 1 एससीसी 158; आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले (1984) 2 एस. सी. सी. 183, पृ. 224, 225: ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 684; एम. सत्यनारायरा बनाम कर्नाटक राज्य (1986) 2 एससीसी 512, पी। 515: ए. आई. आर. 1986 एससी 1162) जैसा कि स्कूटन एल. न्यायाधिपति ने कहा है: "आपको कभी-कभी कानून में 'या' 'और' को के रूप में पढ़ना पडता है। लेकिन आप ऐसा तब तक नहीं करते हैं जब तक कि आप बाध्य न हों क्योंकि 'या' का आम तौर पर इ मतलब 'और' और 'और' आम तौर पर अर्थ 'या' नहीं होता है। (ग्रीन बनाम प्रीमियर ग्लाइनरहॉन्वी स्लेट कं.(1928)1 के. बी. 561, पी. 568, नसीरुद्दीन बनाम राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 331 पी. 338 : (1975) 2 एस. सी. सी. 671; दिल्ली नगर निगम बनाम टेक चंद भाटिया, ऊपर; राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम पूरण मल (1985) 2 एस. सी. सी. 589।: ए. आई. आर. 1985 एस.

सी. 741 और जैसा कि लॉर्ड हैल्सबरी ने बताया, "'या' को 'और' के रूप में पढ़ने का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, जब तक कि उसी कानून का कुछ अन्य भाग या उसका स्पष्ट इरादा ऐसा करने की आवश्यक हो"। (मर्सी डॉक्स और हार्बर बोर्ड बनाम। हेंडरसन ब्रदर्स। (1888) 13 एसी 595 (एच. एल.) पी. 603. आगे देखें, पूरन सिंह बनाम। एम. पी. राज्य, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1583 पी. 1584, (पैरा 5); दिल्ली नगर निगम बनाम। टेक चंद भाटिया, ऊपर।) लेकिन अगर शब्दों का शाब्दिक पठन विषय के कम अनुकूल है बशर्ते कि विधायिका का अन्यथा इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। [ए. जी. वी. ब्यूचैम्प (1920) 1 के. बी. 650; आर. वी. ओक्स (1959) सभी ई आर 92] "

हमारे सामने मामले में, प्रयोग की गई अभिव्यक्ति है "अयस्क और सांद्रण" है और स्वयं प्रशुल्क ने, जहाँ भी वे चाहते थे, इन वस्तुओं के लिए अलग उप-शीर्षक प्रदान किया है। इस प्रकार विधायी इरादा बहुत स्पष्ट है, वह है 'अयस्कों' और 'सांद्रणों' को विशिष्ट और विभिन्न वस्तुओं के रूप में सम्बोधित करना।

\* XX XX XX

इस न्यायालय द्वारा समझायी गयी वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों से और इन्हें वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने से, एकमात्र उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि विधायिका का इरादा अयस्कों और सांद्रणों का स्पष्ट रूप से और अलग तरीके से ध्यान केंद्रित करता है। अन्यथा, विधायिका को इन दोनों शब्दों के बीच में 'और' संयुग्म के साथ नियोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि कोई अयस्कों और सांद्रणों को पर्यायवाची के रूप में मानता है जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है तो इससे सांद्रण शब्द निरर्थक हो जायगा जो स्वीकार्य नहीं है।

23. उन्होंने इस न्यायालय पर एक विनिर्माण प्रक्रिया को भूनने की प्रक्रिया के उपचार के उद्देश्य को ध्यान में रखने के लिए भी दबाव डाला, जो कि उक्त उत्पाद को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दायरे में लाने के लिये था।

24. दूसरी ओर, श्री लक्ष्मीकुमारन निर्धारिती की ओर से पेश विद्वान वकील का प्रयास, यह प्रदर्शित करने के लिए कि नोट 4 को जोड़ने से कानूनी स्थिति में कोई अंतर नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि एम. एम. टी. सी. मामले में रेखांकित बुनियादी अवधारणा वही रही जो यह थी कि अयस्क जीनस है और सांद्र केवल एक प्रजाति है और, इसलिए, भले ही इसे अब 'निर्माण' के रूप में माना जाए, फिर भी छूट अधिसूचना को लागू करने के उद्देश्य से सांद्रण अभी भी मौलिक अभिव्यक्ति अयस्क' द्वारा कवर

किया जाएगा, जो कि एक प्रजाति थी। उन्होंने दोहराया कि अयस्क को भूना केवल अशुद्धियाँ हटाने के लिए था ताकि इसका उपयोग फेरो- मिश्र धातु के निर्माण में किया जा सके। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यहा तक कि 'भुना हुआ अयस्क' अध्याय शीर्षक 26 में भी था और प्रक्रिया, जैसा कि तकनीकी शब्दकोशों में परिभाषित किया गया है, इसे केवल एक समृद्ध अयस्क बनाता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अध्याय टिप्पणी 2 जो कि मैसर्स हिंदुस्तान गैस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मामले में निर्णय का आधार था, अभी भी कानून की पुस्तक में क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है, अर्थात्, अध्याय 26 और उसका अध्ययन करने से से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि अयस्क और सांद्रण एक औए केवल एक ही उत्पाद हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आलोच्य विवादित आदेश में, न्यायाधिकरण ने 2011 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया केवल अध्याय टिप्पणी 4 पर विचार किया और अध्याय टिप्पणी 2 के निहितार्थ पर समग्र रूप से चर्चा करने में विफल रहा है जिससे यह आलोच्य निर्णय गलत हो गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एम. एम. टी. सी. निर्णय में निहित मूल सिद्धांत, अर्थात्, अयस्क जीनस है और कंसन्ट्रेट प्रजाति है, अध्याय टिप्पणी 4 को जोड़ने के बाद भी मान्य रहता है।

25. हमने दोनों पक्षों के वकीलों के संबंधित तर्क पर गहनतापूर्वक विचार किया है।

26. इससे पहले कि हम इन तर्कों पर चर्चा करें और एक विशेष निष्कर्ष पर पहुँचें, हम मामले की मुख्य विशेषताएं को दोहराना चाहेंगे जिनके बारे में कोई विवाद नहीं है:

(क) निर्धारिती अधिसूचना संख्या 4/2006- सी. ई. का लाभ मांग रहा है और क्रम संख्या 4 पर भरोसा कर रहा है जो उसमें वर्णित वस्तुओं को उत्पाद शुल्क भुगतान से पूरी तरह से छूट देता है। ऐसी वस्तुएँ जो अन्यथा उत्पाद शुल्क योग्य हों, इस प्रकार, उन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। क्रम संख्या 4 में इन वस्तुओं का विवरण 'अयस्क' है।

(ख) निर्धारिती द्वारा आयातित वस्तुएँ केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 26 में आती हैं। विशेष प्रशुल्क वस्तु 2613 है जिसके मद में उक्त प्रशुल्क वस्तु के अंतर्गत माल का विवरण 'मोलिब्डेनम अयस्क और सांद्रण' दिया गया है।

(ग) निर्धारिती द्वारा आयातित माल खनन के रूप में मूल रूप में मोलिब्डेनम अयस्क नहीं था। वे स्वीकार्य रूप से भूनने की प्रक्रिया के बाद भूनने की प्रक्रिया से गुजरी हैं और उसके बाद उन्हें 'कंसन्ट्रेट्स' के रूप में जाना जाता है। यहां तक कि निर्धारिती ने भी इन वस्तुओं को 'भुने हुए मोलिब्डेनम अयस्क के रूप में उल्लेखित किया है।

(घ) अध्याय टिप्पणी 4 अयस्कों को सांद्रण में भूनने की उपरोक्त प्रक्रिया को 'निर्माण' के रूप में मानता है।

27. उपरोक्त तथ्यों पर, निर्धारिती का मामला था कि चूंकि अयस्कों में सांद्रण शामिल है, इसलिए निर्धारिती ने अधिसूचना संख्या 4/2006-सी. ई. के तहत सीवीडी के भुगतान से छूट का दावा किया था। इस दावे के समर्थन में कि भूनने के बाद भी, सांद्रण केवल अयस्क बना रहता है केवल इस दलील पर हैं कि अयस्क एक जीनस है और सांद्रण उसकी प्रजाति है, निर्धारिती ने रासायनिक प्रौद्योगिकी पर साहित्य और मैसर्स हिन्दुस्तान गैस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में इसके पहले के निर्णय, जो कि अंततः एमएमटीसी मामले में इस अदालत के फैसले पर आधारित था, को संदर्भित किया है। मैसर्स हिन्दुस्तान गैस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में निर्णय का विश्लेषण हम पहले ही कर चुके हैं। सम्पूर्ण निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि सांद्रता प्राप्त करने के लिए अयस्क को भूनना निर्माण नहीं है विशेष रूप से जब भूनना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अयस्क में अशुद्धियों को हटा दिया जाता है और पुनर्प्राप्त करने योग्य धातु ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। समर्थन में, किर्क ओथमर्स एनसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का संदर्भ लिया गया। इसी तरह, एम. एम. टी. सी. मामले में भी, जिस पर न्यायाधिकरण द्वारा भरोसा किया गया था, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि वोल्फ्रैम कॉन्संटेन्ट जिसमें न्यूनतम 65 प्रतिशत टंगस्टन ऑक्साइड था, अभी भी एक अयस्क था और मद 26 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार, हिन्दुस्तान गैस में निर्णय मुख्य रूप से इस तर्क पर टिका

था कि सांद्रण प्राप्त करने के लिए अयस्क को भूनना निर्माण नहीं होगा और अयस्क और सांद्र एक ही हैं क्योंकि सांद्रण अवशेष अयस्क रहते हैं और केवल अशुद्धियों को वहाँ से हटा दिया जाता है। इस आधार पर, यह माना गया था कि अयस्क जीनस है और सांद्रण उसकी एक प्रजाति है।

28. हमारे अनुसार, हिंदुस्तान गैस मामले में निर्णय को पढ़ने से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बुनियादी और आम धागा जो पूरे निर्णय के दौरान चलता है वह यह है कि अयस्क को भूनने की प्रक्रिया के अधीन करना निर्माण नहीं होता है। यही मूल आधार वर्ष 2011 में नोट 4 के जोड़े जाने के साथ कार्यवाहित किये गये संशोधन के द्वारा खटखटाया जाता है। अब नोट 4 स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि अयस्क को सांद्रण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को 'निर्माण' कहा जायेगा। इसलिए, अब यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अयस्कों का भूनना और उन्हें संकेंद्रित में परिवर्तित करना नहीं निर्माण नहीं कहलायेगा। इसी कारण से, एमएमटीसी में दिया गया निर्णय अप्रयोज्य हो जाता है और किर्क-ओथमर विश्वकोश पर निर्भरता अप्रासंगिक हो जाती है। नोट 4 जोड़ने के साथ, अयस्कों को सांद्रणों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को निर्माण के रूप मानते हुए एक कानूनी घर्षण बनाया जाता है। एक बार इसको निर्माण के रूप में मानने के बाद, उसके सभी परिणाम, जैसा कि इस तरह के कानूनी घर्षण के निर्माण के लिये अभिप्रेत है, स्वचालित रूप से अनुसरण करेंगे। निम्नलिखित अपरिहार्य निहितार्थ होंगे:



(क) यह माना जाना चाहिए कि मोलिब्डेनम अयस्क सांद्रण से अलग है। यह प्रक्रिया को 'निर्माण' के रूप में मानने में निहित है क्योंकि निर्माण के परिणामस्वरूप पहले वाली वस्तु से एक अलग वस्तु बन जाती है। धारा 2 (च) में इस अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"निर्माण" में कोई भी प्रक्रिया, शामिल है।

i) किसी कार्य को पूरा करने के लिए आनुषंगिक या सहायक निर्मित उत्पाद;

ii) जो किसी माल के संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) पहली अनुसूची की धारा या अध्याय टिप्पणियाँ में उत्पादन मानने के रूप में निर्दिष्ट किया गया है; या

iii) जिसमें तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में एक इकाई पात्र में ऐसे माल की पैकिंग या रीपैकिंग या कंटेनरों की या लेबलिंग या पुनः लेबलिंग शामिल है जिसमें उस पर खुदरा बिक्री मूल्य की घोषणा या परिवर्तन या किसी को अपनाना और उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणन योग्य बनाने के लिए माल पर अन्य उपचार शामिल है।

(ख) सांद्रण को अयस्कों से निर्मित उत्पाद मानने का उद्देश्य सांद्रण को उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी बनाना है अन्यथा, अयस्कों को सांद्रण में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण मानने का कोई कारण नहीं था।

29. एक बार जब उपरोक्त कानूनी परिणाम एक फोरटियोरी के रूप में लिए जाते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिसूचना सं 4 / 2006-सी. ई. जो केवल अयस्कों को छूट देता है, स्वयं इसमें 'सांद्रण' को इस कारण से भी नहीं शामिल करेगा होता है कि नोट 4 का सम्मिलन होने के बाद, कानून में अध्याय 26 के उत्पादों के प्रयोजनों के लिए सांद्रण को अयस्कों की तुलना में एक अलग उत्पाद के रूप में माना जाना है।

30. यह हमें अध्याय टिप्पणी 2 के प्रभाव पर लाता है जिसे अध्याय टिप्पणी 4 को सम्मिलित करने के बाद भी बनाए रखा जाता है। कोई शक नहीं, अध्याय टिप्पणी 2 के अनुसार, 'अयस्क' का अर्थ है खनिज संबंधी खनिज जो वास्तव में धातु उद्योग में पारद का निष्कर्षण उपयोग की जाने वाली प्रजातियाँ हैं, शीर्ष 2844 की धातुओं से या धारा XIV या XV की धातुओं से, भले ही वे गैर धातुकर्मक उद्देश्य के लिए अभिप्रेत हों। इस नोट के अनुसार, खंड XV की धातुओं को 'अयस्क' शब्द में शामिल किया जाएगा। लेकिन, अध्याय टिप्पणी 4 का सम्मिलन करने के बाद, ये दो टिप्पणियाँ, अर्थात् टिप्पणी 2 और नोट 4 को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ना होगा। अगर हम नोट 2 पर निर्धारित निर्धारिती के लिए विद्वान वकील का

प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करते हैं, तो फिर नोट 4 को इसके सचेत रूप में समावेश के बाद भी, उसे बेकार बना दिया जायेगा जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है इसलिये नोट 2 को जब नोट 4 के साथ देखा जाता है तो, उसे सीमित दायरे में शासन करना होगा नोट 4 द्वारा बनाई कल्पनिक कल्पना के आधार पर, एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अयस्क को भूनने की प्रक्रिया विनिर्माण के बराबर होती है और यह छूट अधिसूचना के उद्देश्य से सांद्रण के रूप में जाना जाने वाला एक अलग उत्पाद बनाता है, जो केवल अयस्क को छूट देता है। यह मानना सम्भव नहीं है कि सांद्रण अभी भी छूट अधिसूचना द्वारा कवर की जाएगा। इसलिये नोट 2 और नोट 4 का सामंजस्यपूर्ण निर्माण हमें यह मानने के लिए प्रेरित करेगा कि उन मामलों में जब नोट 4 लागू होता है और अयस्क एक अलग उत्पाद बन जाता है, तो यह अयस्क होना बंद हो जाता है।

31. इस प्रकार, हमारी राय है कि आलोच्य निर्णय में, न्यायाधिकरण उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नोट 4 के आधार पर, सांद्रण को अनिवार्य रूप से अयस्कों से भिन्न मानना चाहिए। जिन्हें मोलिब्डेनम अयस्क की भूनने की प्रक्रिया के बाद निर्मित उत्पाद माना जाता है। एक बार जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि अयस्कों का सांद्रणों में रूपांतरण निर्माण माना जाता है और, इस प्रकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी हो जाता है, छूट अधिसूचना सं. 4/2006-सी. ई. की व्याख्या इस रूप में की जानी है क्योंकि विधानमंडल ने अयस्कों और

सांद्रणों को दो अलग-अलग वस्तुओं के रूप में मानने का इरादा किया है और अधिसूचना संख्या 4/2006-सी ई केवल अयस्कों को छूट दी गई है, सांद्रण स्वचालित रूप से उक्त अधिसूचना के दायरे से बाहर हो जाता है। राजस्व के विद्वान अधिवक्ता यह उचित रूप से तर्क दिया गया है कि छूट अधिसूचनाएँ सख्ती से समझी जानी चाहिये और भले ही कुछ संदेह हो, इसका लाभ निर्धारिती को नहीं दिया जाएगा, बल्कि राजस्व को दिया जाएगा। छूट अधिसूचना के सख्त निर्माण का यह सिद्धांत अब इस न्यायालय द्वारा लगातार इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए दिये गये विभिन्न निर्णयों में गहराई से निहित है।

32. मैसर्स नवोपान इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद बनाम कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य में, का एक छूट अधिसूचना के इस सिद्धांत की व्याख्या को संक्षेप में निम्नलिखित शब्द रूप में प्रस्तुत किया गया था:

" तथापि, हमारा यह मत है कि सैद्धांतिक रूप से, मँगलौर कैमिकल्स- और भारत संघ बनाम वुड पेपर्स में न्यायालय का निर्णय, जिसमेन संदर्भित है- कानून के सही द्रष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। सिद्धांत यह है कि मामले में अस्पष्टता, एक कर कानून को निर्धारिती के पक्ष में समझा जाना चाहिये- यह मानते हुए कि उक्त सिद्धांत अच्छा और ठोस है- किसी अपवाद या छूट वाले प्रावधान के विनिर्माण

पर भी लागू नहीं होता है: उन्हें सख्ती से समझा जाना चाहिये। एक व्यक्ति जो एक का आह्वान करता है उसे कर दायित्व से छूट देने के लिए अपवाद या छूट प्रावधान को स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहिए कि वह उक्त प्रावधान के अंतर्गत कवर किया गया है। संदेह या अस्पष्टता के मामले में, इसका लाभ राज्य को मिलना चाहिए। यह मैंगलोर केमिकल्स में बताये गये कारण के लिये है और अन्य निर्णयों, अर्थात्, इस तरह के प्रत्येक अपवाद/छूट से समुदाय के अन्य सदस्यों पर तदनुसार कर का बोझ बढ़ जाता है। एक बार, निश्चित रूप से, प्रावधान उस पर लागू पाया जाता है, तो उस पर प्रभाव दिया जाना चाहिये जैसा कि एक द्वारा देखा गया है हंसराज गोरधनदास बनाम एच. एच. डेव, (1969) 2 एस. सी. आर. 253 मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा टिप्पणी की गई कि अधिसूचना पर कार्यवाही करने के लिये इसकी व्याख्या इसके द्वारा नियोजित शब्दों के प्रकाश में की जानी चाहिए, न कि किसी अन्य आधार पर। यह ऐसा इस सिद्धांत के संदर्भ में अभिनिर्धारित किया गया कि एक करधान कानून में, किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है, इस संबंध में शब्दों के स्पष्ट अर्थ को प्राथमिकता देनी चाहिये और

मामला पूरी तरह से अधिसूचना की भाषा द्वारा अर्थात्, छूट की साधारण शर्तों के अनुसार शासित होना चाहिए।"

33. विधि निर्धारण को गुणा किए बिना, हम आई. वी. आर. सी. एल. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई मामले में इस न्यायालय के नवीनतम सुझाव का उल्लेख करते हैं जिसमें इस सिद्धांत को निम्नलिखित तरीके से दोहराया गया है:

"4..... हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है। हम पाते हैं कि श्री लक्ष्मीकुमारन द्वारा दिये गये पहले तर्क का तुरंत निपटान किया जा सकता है। हमारे सामने विषय वस्तु एक छूट अधिसूचना है जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत जारी किया गया। व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ जिनका श्री लक्ष्मीकुमारन द्वारा उल्लेख किया गया है सीमा शुल्क अधिनियम में हैं। श्री लक्ष्मीकुमारन द्वारा उल्लिखित टिप्पणी 2 (ए) इस प्रकार है:

"2.(ए) किसी लेख के शीर्षक में किसी भी संदर्भ उस लेख के अधूरे या अपूर्ण संदर्भ को शामिल करने के लिए लिया जायेगा, बशर्ते कि, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, अपूर्ण या अधूरे लेख में पूर्ण या समाप्त लेख का आवश्यक चरित्र हो। इसमें उस लेख के संदर्भ को शामिल करने के लिये भी

लिया जाएगा जो पूर्ण या समाप्त हो गया है (या इसके अनुसार पूर्ण या समाप्त के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है), असंबद्ध या बिना- संबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया।"

यह स्पष्ट है कि इस तरह के नोट का छूट अधिसूचना पर कोई उपयोग नहीं होगा जो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 के तहत जारी की जाती है। अतः, यह तथ्य कि असंबद्ध सयंत्र जो अधूरा है लेकिन जिसके पास एक पूर्ण सयंत्र का आवश्यक चरित्र है, यह परीक्षण वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जाए। दूसरी ओर, लागू परीक्षण वह होगा जो एक निर्णयों का संग्रह में निर्धारित किया गया है। ऐसे दो निर्णय पर्याप्त होंगे। सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम टुलो इंडिया ऑपरेशंस लिमिटेड (2005) 13 एससीसी 789 = 2005 (189) ई. एल. टी. 401 (एस. सी.), में इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

"34. एक छूट अधिसूचना के निर्माण के संबंध में सिद्धांत अब एकीकृत नहीं है; जबकि छूट अधिसूचना के संबंध में पात्रता खंड को सख्त अर्थ दिया गया है, जहाँ अधिसूचना की व्याख्या उसकी भाषा के संदर्भ में की जानी चाहिए, एक बार जब कोई निर्धारिती पात्रता खंड को संतुष्ट कर लेता है, तो उसमें छूट खंड का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जा सकता

है। इसलिये, पात्रता मानदंड, एक सख्त निर्माण के योग्य है, उसकी शर्त के निर्माण को उदार अर्थ दिया जा सकता है।"

इसी तरह जी. पी. सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयुक्त, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश, (2009) 2 एससीसी 90 में इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

"29. यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत नहीं है कि छूट अधिसूचना में निर्धारित पात्रता मानदंड को सख्ती से समझने की आवश्यकता है, एक बार जब यह पाया जाता है कि आवेदक उसी को संतुष्ट करता है, तो छूट अधिसूचना को उदारता से समझा जाना चाहिए। सी टी टी बनाम डी. एस. एम. ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, (2005) 1 एस. सी. सी. 657 (एस. सी. सी. पैरा 26); टिस्को बनाम झारखंड राज्य (2005) 4 एससीसी 272 (एस. सी. सी. पैरा 42 से 45); राज्य स्तरीय समिति बनाम मोरगार्डशमर इंडिया लिमिटेड (1996) 1 एस. सी. सी. 108; नोवोपैन इंडिया लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. और सीमा शुल्क (1994 पूरक (3) एससीसी 606); ए. पी. स्टील री-रोलिंग मिल लिमिटेड बनाम केरल राज्य (2007) 2 एस. सी. सी. 725 और रीज इलेक्ट्रोक्ंट्रोल्स (पी) लिमिटेड बनाम. सी. सी. ई. (2006)



6 एस. सी. सी. 213 इस परीक्षण को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि केवल उल्लिखित प्रकार का एक गर्म मिश्रित संयंत्र सीमा शुल्क के भुगतान से मुक्त है। जाहिर है, इसका मतलब यह है कि इस तरह के संयंत्र को पूरी तरह से आयात किया जाना चाहिए, भले ही वह एक असंबद्ध रूप में हो। इस परीक्षण को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि आयुक्त और सी. ई. एस. टी. ए. टी के तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष में न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों अधिकारियों ने माना है कि असंबद्ध रूप में एक पूर्ण संयंत्र वास्तव में आयातित नहीं किया गया है।"

34. न्यायाधिकरण ने विवादित फैसले में भी सी. वी. डी. लगाने के पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुद्दे का खनन किया। इस तरह की चर्चा इस प्रकार आगे बढ़ती है:

"इस समय अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी) लगाने के उद्देश्य की जाँच करना उपयोगी होगा। हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय द्वारा इस मामले में बहुत विस्तार से जांच की गई थी और यह इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"15. सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 से पहले भारतीय प्रशुल्क अधिनियम 1934 था। प्रशुल्क अधिनियम 1934 की धारा 2 (ए) में प्रतिपूरक शुल्क के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान था। इस खंड में यह निर्धारित किया गया कि कोई भी वस्तु जो भारत में आयात की गई थी, तो वह, यदि भारत में उत्पादित या निर्मित किया जाता है तो समान वस्तु पर उस समय लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क के बराबर शुल्क के, सीमा शुल्क के लिये उत्तरदायी होगी।

"खंड 3 के सम्बंध में सीमा शुल्क प्रशुल्क विधेयक 1975 के खंडों के टिप्पणियों में यह कहा गया है था कि "खंड 3 में स्वदेशी निर्मित समान वस्तु पर या स्वदेशी कच्चा माल, घटक या सामग्री पर देय उत्पाद शुल्क, या जो इसी तरह के सामान जो स्वदेशी वस्तु के निर्माण में जाते हैं, को संतुलित करने के लिए आयातित वस्तु पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान है। यह प्रावधान मौजूदा अधिनियम की धारा 2 ए के अनुरूप है, और भारत में निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है"। सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की सरल भाषा के अलावा यहाँ तक कि खंडों के नोट भी भारत में उत्पादित या निर्मित होने पर समान वस्तु पर लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क की मात्रा के

बराबर अतिरिक्त शुल्क लगाने को समर्थ करने के लिये शुल्क के लिए प्रावधान करने के विधायी इरादे को दर्शाते हैं। भले ही धारा 3 के तहत यह लेवी भारत में समान वस्तुओं के वर्तमान या भविष्य के निर्माताओं को समान अवसर प्रदान करने के लिये अधिनियमित की गई है। (जोर दिया गया)

सांद्रणों पर सी. वी. डी. लगाने के प्रयोजनों के लिये अधिसूचना संख्या 4/2006 सी.ई. की व्याख्या करते समय शुल्क लगाने के इस उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा। यदि सांद्रण का घरेलू निर्माता नोट 4 से अध्याय 26 के संदर्भ में अयस्कों को सांद्रण में रूपांतरण पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो क्या उसका हितों की सेवा की जा सकती है जब भारत में आयातित सांद्रण पर सी. वी. डी. नहीं लगाया जाता है अधिसूचना संख्या 4/2006 की व्याख्या द्वारा समान दर ताकि यह समझा जा सके कि अयस्कों में सांद्रण शामिल हैं और इसलिए, कोई सी. वी. डी. नहीं लगाया जा सकता है। हमारे विनम्र विचार में, इस तरह की व्याख्या हगरेलू उत्पादों के हितों और अधिसूचना की साधारण भाषा के खिलाफ है। तदनुसार हम

मानते हैं कि अधिसूचना संख्या 4/2006-सीई के तहत छूट का लाभ 'विदेश से आयातित' सांद्रण पर लागू नहीं होगा।"

35. निर्धारिती के लिये विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि पूरी कवायद राजस्व तटस्थ है, क्योंकि निर्धारिती को, किसी भी मामले में, भुगतान किए गए शुल्क का क्रेडिट मिल जाएगी। यदि ऐसा है, तो वर्तमान मामले में यह तर्क निर्धारिती के खिलाफ जाता है। चूंकि निर्धारिती अपील में है और यदि प्रक्रिया राजस्व तटस्थ है, तो अपील दायर करने की भी आवश्यकता नहीं थी जैसा कि हो सकता है, अगर ऐसा है तो इसलिए, इस तरह के क्रेडिट का दावा करने के लिए निर्धारिती के लिए हमेशा खुली छोट रहेगी।

36. इस प्रकार, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और लागत के साथ उसे खारिज करते हैं।

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक बृजेश कुमार, अधिवक्ता उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।